[2019] 17 एस. सी. आर. 539

कीस्टोन रियल्टर पी. वी. टी. लिमिटेड।

वी.

श्री अनिल वी. थार्थार एंड ओआरएस।

(2019 की सिविल अपील संख्या 2435)

3 दिसंबर, 2019

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

अजय रस्तोगी, जे. जे.]

पर्यावरण कानूनः ई. आई. ए. अधिसूचना-S.O.1533 दिनांकित 14.09.2006-पैराग्राफ 2 विस्तार-अपीलार्थी परियोजना

आवासीय पुनर्विकास परियोजना के प्रस्तावक, शुरू किया गया

परियोजना संपत्ति में भवन का निर्माण-के समय निर्माण की शुरुआत में, कुल निर्माण क्षेत्र 8720.320 वर्ग किलोमीटर था। एम. टी. आर. एस.-अपीलार्थी ने परियोजना के दायरे का विस्तार किया और निर्माण क्षेत्र को 32,395.17 वर्ग कि. मी. तक बढ़ाया। एमटीआरएस। ई. आई. ए. के तहत

अधिसूचना, एक पर्यावरण मंजूरी (ईसी) आवश्यक थी यदि कुल निर्माण क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक था। एम. टी. आर. एस. और इसलिए अपीलार्थी

ई. सी. के लिए आवेदन किया-एस. ई. ए. सी. की सिफारिशों पर, एस. ई. आई. ए. ए. को मंजूरी दी गई

पर्यावरण विभाग को सूचित किया कि निर्माण में 8085.71 वर्ग मीटर की और वृद्धि की गई है। जिसके परिणामस्वरूप कुल परियोजना के निर्माण क्षेत्र को बढ़ाकर 40,482.88 वर्ग किमी कर दिया गया। एम. टी. आर. एस. 13.03.2014 पर, ई. सी. दिनांकित 02.05.2013 में एक संशोधन इस आधार पर दिया गया था कि इसमें केवल मामूली वृद्धि हुई थी।

निर्मित और निर्माण क्षेत्र-प्रथम प्रतिवादी द्वारा दिनांकित संशोधित ईसी के अनुदान को चुनौती-एनजीटी ने माना कि अपीलार्थी की परियोजना के कुल निर्माण क्षेत्र में वृद्धि अधिसूचना दिनांक 14.09.2006-एनजीटी के तहत एक विस्तार था

यह पाया गया कि अपीलार्थी ने निर्धारित नियामक प्रक्रिया का पालन किए बिना अधिसूचना के पैराग्राफ 2 में निर्धारित विस्तार किया था और अपीलार्थी को निर्देश दिया था कि -

रु. जमा करें। सी. पी. सी. बी. के साथ एक करोड़-इसके अलावा, यह देखते हुए कि परियोजना स्थल पर निर्माण पूरा हो गया था, एनजीटी

अपीलार्थी की विस्तारित परियोजना के प्रभाव का अध्ययन करने और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए एक पाँच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई-तत्काल अपील में एनजीटी के इस आदेश को चुनौती दी गईः ई. आई. ए. अधिसूचना की पूरी योजना यह सुनिश्चित करने के लिए है

अनुसूची की प्रविष्टि 8 (ए) का निर्मित क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर है। एम. टी. आर. एस. और ऊपरी सीमा 1,50,000 वर्ग है। एम. टी. आर. एस.-इसमें कोई संदेह नहीं है कि 1,50,000 वर्ग मीटर के निर्माण का पर्यावरणीय प्रभाव। एमटीआरएस करेंगे

यह 20,000 वर्ग कि. मी. के निर्माण से काफी अधिक होगा। एम. टी. आर. एस.-इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि जैसे-जैसे परियोजना का आकार बढ़ता है, वैसे-वैसे परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव का परिमाण भी बढ़ता है-ऐसी कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं जहां किसी परियोजना द्वारा विस्तार की मांग की जाती है।

प्रस्तावक वास्तव में सीमांत या इस तरह के पर्यावरणीय प्रभाव है

विस्तार अस्तित्व में नहीं है-हालाँकि, यह इस न्यायालय के लिए एक स्पष्ट परीक्षण निर्धारित करने के लिए नहीं है कि 'सीमांत' वृद्धि क्या है और एक नए रूप की गारंटी देने वाली सामग्री वृद्धि क्या है।

1 और विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा जांच इस प्रकार, एक

अनुसूचियों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर विस्तार पैराग्राफ 7 (ii) में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन होगा -

दूसरी वृद्धि, अपीलार्थी की परियोजना का कुल निर्माण क्षेत्र बढ़ाकर 40,480.88 वर्ग कि. मी. कर दिया गया। एम टी आर एस-परिणामस्वरूप

विस्तार, अपीलार्थी ने सोलह अतिरिक्त फ्लैटों का निर्माण किया

अपीलार्थी ने निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन नहीं किया

ई. आई. ए. अधिसूचना के पैराग्राफ 7 (ii) में ई. सी.-एस. ई. आई. ए. ए. में 'संशोधन' की मांग की गई थी, लेकिन अपीलार्थी को इसकी आवश्यकता नहीं थी -

एक अद्यतन फॉर्म 1 जमा करें और न ही प्रस्ताव को संसाधित किया गया और

एस. ई. ए. सी. द्वारा मूल्यांकन किया गया-ई. सी. में 'संशोधन' दिनांक 13.03.2014

निर्माण क्षेत्र में वृद्धि के संभावित पर्यावरणीय प्रभाव पर चर्चा नहीं की पैराग्राफ 7 (ii) के तहत निर्धारित प्रक्रिया ई. आई. ए. अधिसूचना यह सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है कि जहां किसी परियोजना का आकार बढ़ाया जाता है, आसपास के क्षेत्र पर पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करते हुए किया जाता है।

वायु और जल की उपलब्धता और प्रदूषण, ठोस और गीले कचरे का प्रबंधन और क्षेत्र की शहरी वहन क्षमता सहित यह अपीलार्थी की परियोजना के मामले में नहीं किया गया था-एस. ई. आई. ए. ए. के लिए यह खुला नहीं था कि वह इसके बिना निर्वाचन आयोग को 'संशोधन' प्रदान करे।

ई. आई. ए. अधिसूचना के अनुच्छेद 7 (ii) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना-इसके अलावा, आक्षेपित आदेश की तारीख को

परियोजना स्थल पर निर्माण पहले ही पूरा हो चुका था-परियोजना के निर्माण को पूरा करके, अपीलार्थी ने एस. ई. आई. ए. ए. और एस. ई. ए. सी., पर्यावरणीय प्रभाव कीस्टोन रियल्टर्स पी. वी. टी. का मूल्यांकन करने की क्षमता से इनकार कर दिया।

लिमिटेड। श्री अनिल वी. थार्थरि

और किसी भी पर्यावरणीय क्षति को कम करने के तरीकों का सुझाव दें-इस स्तर पर, केवल उपचारात्मक उपाय किए जा सकते हैं-एनजीटी ने पहले ही अपीलार्थी को एक करोड़ जमा करने का निर्देश दिया है और एक विशेषज्ञ का गठन किया है

अपीलार्थी की परियोजना के प्रभाव का मूल्यांकन करने और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए समिति-इन परिस्थितियों को देखते हुए, एन. जी. टी. के निर्देशों को बरकरार रखा जाता है और समिति को अपीलार्थी की परियोजना का मूल्यांकन जारी रखने का निर्देश दिया जाता है ताकि इसके प्रभाव को कम किया जा सके।

अपीलार्थी पर अधिरोपित किया जाना। क़ानूनों की व्याख्याः अधिसूचना की व्याख्या-ऐसे मामले में जहां प्रावधानों के पाठ की व्याख्या की आवश्यकता होती है,

न्यायालयों को ऐसी व्याख्या अपनानी चाहिए जो विधान या प्रत्यायोजित विधान के उद्देश्य और उद्देश्य के अनुरूप हो। समग्र रूप से-ई. आई. ए. अधिसूचना को नई परियोजनाओं को प्रतिबंधित करने और नई परियोजनाओं के विस्तार के इरादे से अपनाया गया था जब तक कि उनके पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन और समझ नहीं हो जाती-पर्यावरण कानून।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1. ई. आई. ए. अधिसूचना इस दौरान पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करना चाहती है। नई परियोजनाओं का निष्पादन और मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार या आधुनिकीकरण। यह निष्पादन पर प्रतिबंध लगाता है

नई परियोजनाओं और मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार पर, जब तक कि उनके संभावित पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन और एक ईसी के अनुदान द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है। जहाँ एक परियोजना के अंतर्गत आता है

ई. आई. ए. की अनुसूची, पैराग्राफ 2 में निर्धारित मापदंड

अधिसूचना में प्रावधान है कि कोई भी निर्माण कार्य तब तक शुरू नहीं होगा जब तक कि तीन प्रकार की गतिविधि के संबंध में ईसी की अनुमति नहीं दी जाती हैः (i) अनुसूची में प्रदान की गई नई परियोजनाएं या गतिविधियाँ, (ii)

मौजूदा परियोजनाओं या गतिविधियों का विस्तार या आधुनिकीकरण अनुसूची में उपबंधित, और (iii) निर्दिष्ट सीमा से परे अनुसूची में उपबंधित मौजूदा विनिर्माण इकाइयों में उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन। [पैरा 6] [547-जी-एच; 548-जी-एच]

2. एक ईसी को सुरक्षित करने के लिए, परियोजना प्रस्तावक को चाहिए

प्रपत्र 1 में निर्धारित तरीके से आवेदन जमा करें और ई. आई. ए. अधिसूचना का पूरक प्रपत्र 1 ए (यदि लागू हो)।

9] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ई. आई. ए. अधिसूचना के पैराग्राफ 2 के खंड (ii) में परियोजना प्रस्तावक को संबंधित नियामक से एक ई. सी. प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। किसी मौजूदा परियोजना के किसी भी "विस्तार" को शुरू करने से पहले प्राधिकरण। पैराग्राफ 7 (ii) आगे निर्धारित करता है कि "विस्तार" के मामलों में ईसी के लिए सभी आवेदनों के परिणामस्वरूप वृद्धि होती है

पूर्ववर्ती निर्वाचन आयोग में निर्धारित क्षमता/क्षेत्र से परे उत्पादन क्षमता या पट्टा क्षेत्र प्रपत्र 1 या 1 ए (जैसा लागू हो) में निर्धारित तरीके से बनाया जाएगा। प्रपत्र 1 में अपीलार्थी का आवेदन स्वीकार करता है कि परियोजना ई. आई. ए. अधिसूचना की अनुसूची 1 की प्रविष्टि 8 (ए) के तहत आती है। प्रविष्टि 8 'भवन और निर्माण परियोजनाओं के बारे में है जिनका निर्मित क्षेत्र या उससे अधिक है।

ई. आई. ए. अधिसूचना के प्रावधानों के तहत आवश्यकतानुसार प्रपत्र 1 में आवेदन। अपीलार्थी के प्रपत्र 1 में पहचाना गया कुल निर्माण क्षेत्र 32,395.17 वर्ग मीटर था। हालाँकि, सितंबर 2013 में, अपीलार्थी ने दूसरे प्रतिवादी को 8,085.71 वर्ग मीटर की वृद्धि के बारे में सूचित किया, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना का कुल निर्माण क्षेत्र 40,480.88 होगा। वर्ग मीटर। [पैरा 7,8] [549-बी-जी-एच; 550-ए-डी-ई]

3.1 ई. आई. ए. अधिसूचना के पैराग्राफ 2 के खंड (ii) में कहा गया है कि एक परियोजना प्रस्तावक को "विस्तार" के मामले में निर्माण शुरू करने से पहले एक ई. सी. की आवश्यकता होगी। खंड

((ii) "संबंधित क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट सीमाओं से परे विस्तार" वाक्यांश का उपयोग करता है। खंड (ii) के दूसरे भाग का एक सादा पठन इंगित करता है कि यह उन मामलों पर लागू होता है जहां एक परियोजना थी

शुरू में अनुसूची में निर्धारित सीमा से नीचे लेकिन प्रस्तावित विस्तार के बाद, सीमा सीमा का उल्लंघन होगा।

हालांकि, पैराग्राफ 2 के खंड (ii) को पैराग्राफ के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

7 ((ii) ई. आई. ए. अधिसूचना। पैराग्राफ 7 (ii) में कहा गया है कि ईसी प्राप्त करने के बाद भी यदि परियोजना का विस्तार सीमा से परे किया जाता है

जिसे पूर्व ईसी प्राप्त किया गया था, एक नया आवेदन करने की आवश्यकता होगी, भले ही विस्तार सीमा के ऊपर हो अनुसूची में निर्धारित। [पारस 12,13] [552-एच; 553-ए-एफ]

3.2 यदि पैराग्राफ 2 का खंड (ii) किसी मामले को शामिल नहीं करता है

जहाँ विस्तार अनुसूची द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर है, वहाँ एक परियोजना प्रस्तावक वृद्धिशील रूप से कीस्टोन रियल्टर्स पी. वी. टी. रख सकता है।

लिमिटेड। श्री अनिल वी. थार्थरि

पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन और संबंधित द्वारा प्रमाणित किया जाता है नियामक प्राधिकरण। तत्काल मामले में, अनुसूची के प्रवेश 8 (ए) की निचली सीमा 20,000 वर्ग मीटर का निर्मित क्षेत्र है और ऊपरी सीमा 1,50,000 वर्ग मीटर है। इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है कि 1,50,000 वर्ग मीटर के निर्माण का पर्यावरणीय प्रभाव निर्माण से काफी अधिक है।

20,000 वर्ग मीटर। यदि अपीलार्थी के तर्क को समग्रता में स्वीकार कर लिया जाता है, तो एक परियोजना प्रस्तावक संभावित रूप से 20,000 वर्ग मीटर के निर्माण के लिए एक ई. सी. को सुरक्षित कर सकता है और 'संशोधन' द्वारा निर्माण के क्षेत्र को लगातार 1,50,000 वर्ग तक बढ़ा सकता है।

एस. ई. ए. सी. द्वारा अद्यतन प्रपत्र 1 या कोई ठोस समीक्षा जमा किए बिना। [पैरा 14] [553-जी-एच; 554-ए-बी]

4. ऐसे मामले में जहां प्रावधानों के पाठ की आवश्यकता होती है

व्याख्या, इस न्यायालय को एक ऐसी व्याख्या अपनानी चाहिए जो समग्र रूप से विधान या प्रत्यायोजित विधान के उद्देश्य और उद्देश्य के अनुरूप हो। ई. आई. ए. अधिसूचना को नई परियोजनाओं को प्रतिबंधित करने और नई परियोजनाओं के विस्तार के इरादे से अपनाया गया था जब तक कि उनके पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन और समझ नहीं हो जाती। इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि परियोजना का आकार बढ़ता है, इसलिए परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव का परिमाण भी बढ़ता है। यह न्यायालय ई. आई. ए. अधिसूचना की व्याख्या को नहीं अपना सकता है जो अनुमति देगा,

वृद्धिशील या अन्यथा, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या एस. ई. ए. सी. से किसी भी निरीक्षण के बिना किसी परियोजना के निर्माण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए परियोजना प्रस्तावक, जैसा भी लागू हो। यह सच है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हो सकती हैं जहाँ एक परियोजना प्रस्तावक द्वारा मांगा गया विस्तार वास्तव में मामूली या इस तरह के विस्तार का पर्यावरणीय प्रभाव अस्तित्व में नहीं है।

हालाँकि, यह इस न्यायालय के लिए एक स्पष्ट परीक्षण निर्धारित करने के लिए नहीं है कि क्या 'मामूली' वृद्धि का गठन करता है और क्या एक भौतिक वृद्धि का गठन करता है जो एक नए फॉर्म 1 की आवश्यकता देता है और विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा जांच की जाती है। अगर सरकार अपने विवेक यह निर्धारित करना था कि एक बार 'सीमांत' वृद्धि [2019] 17 एस. सी. आर.

अनुसूची में निर्धारित, पर्यावरण संरक्षण की तत्काल आवश्यकता को कम किए बिना जांच के निम्न मानक के अधीन हो सकता है, संभवतः यह न्यायालय इस तरह के एक मामले को प्रभावी बना सकता है प्रावधान। यह एहतियाती सिद्धांत के उल्लंघन के आधार पर किसी भी चुनौती के अधीन होगा। हालाँकि, जैसा कि वर्तमान में ई. आई. ए. अधिसूचना है, अनुसूचियों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर एक विस्तार के अधीन होगा

पैराग्राफ 7 (ii) में निर्धारित प्रक्रिया। [पैरा 16] [556-डी-एच; 557 ए]

5. दूसरी वृद्धि के समय, अपीलार्थी की परियोजना का कुल निर्माण क्षेत्र 32 से बढ़ा दिया गया था, 395.17

वर्ग मीटर से 40,480.88 वर्ग मीटर। विस्तार के परिणामस्वरूप, अपीलार्थी ने सोलह अतिरिक्त फ्लैटों का निर्माण किया। अपीलार्थी ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया

ई. आई. ए. अधिसूचना के पैराग्राफ 7 (ii) में चुनाव आयोग में 'संशोधन' की मांग की गई थी। तीसरे प्रत्यर्थी को अपीलार्थी से अद्यतन प्रपत्र 1 जमा करने की आवश्यकता नहीं थी और न ही चौथे प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्ताव को संसाधित और मूल्यांकन किया गया था। द.

' निर्वाचन आयोग में 13 मार्च 2014 को किए गए संशोधन में वृद्धि के संभावित पर्यावरणीय प्रभाव पर चर्चा नहीं की गई थी।

निर्माण क्षेत्र, लेकिन केवल यह दर्ज किया गया कि निर्माण क्षेत्र 40,480.88 वर्ग मीटर था। ई. आई. ए. अधिसूचना के पैराग्राफ 7 (ii) के तहत निर्धारित प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है कि जहां किसी परियोजना का आकार बढ़ाया जाता है, आसपास के क्षेत्र पर पर्यावरणीय प्रभाव का समग्र रूप से मूल्यांकन हवा और पानी की उपलब्धता और प्रदूषण, ठोस और गीले कचरे के प्रबंधन और शहरी सहित सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करते हुए किया जाता है। क्षेत्र की वहन क्षमता। यहां ऐसा नहीं किया गया। पैराग्राफ 7 (ii) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना चुनाव आयोग को 'संशोधन' देने के लिए तीसरे प्रतिवादी के लिए यह खुला नहीं था। इसके अलावा, विवादित आदेश की तारीख तक, परियोजना स्थल पर निर्माण पहले ही पूरा हो चुका था। परियोजना के निर्माण को पूरा करके, अपीलार्थी ने तीसरे और चौथे उत्तरदाताओं को पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करने और किसी भी पर्यावरणीय क्षति को कम करने के तरीकों का सुझाव देने की क्षमता से इनकार कर दिया। एनजीटी पहले ही अपीलार्थी को रुपये जमा करने का निर्देश दे चुका है। एक करोड़ और अपीलार्थी की परियोजना के प्रभाव का मूल्यांकन करने और उपचारात्मक कीस्टोन रियल्टर्स पी. वी. टी. का सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

लिमिटेड। श्री अनिल वी. थार्थरि

2 मई 2013 को निर्वाचन आयोग में विचार किए गए पर्यावरणीय प्रभाव के जितना संभव हो उतना करीब और प्रतिपूरक का भी सुझाव दें। अपीलार्थी पर अधिरोपित दंडादेश। [पारस 17,18] [557-बी एच; 558-ए]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2435

2019 से। 2018 की अपील सं. 122 (2014 की पूर्व अपील सं. 09) में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के दिनांकित निर्णय और आदेश से।

मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , कुणाल टंडन, प्रणय गोयल, अमन राज गांधी, निखिल रोहतगी, अभिषेक शर्मा, सुश्री संजना अरोड़ा,

सुश्री ऋचा सौदिल्य, सुश्री नारायणी भट्टाचार्य, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

आदित्य प्रताप, मुनव्वर नसीम, चिराग एम. श्रॉफ, सुश्री महिमा सी. श्रॉफ, सुश्री याशिका वर्मा, रिया थॉमस, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. वर्तमान दीवानी अपील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 1 की प्रधान पीठ के 11 फरवरी 2019 के एक आदेश से उत्पन्न होती है। अपने आदेश में, एनजीटी ने कहा कि अपीलार्थी की परियोजना के कुल निर्माण क्षेत्र में वृद्धि पर्यावरण और वन मंत्रालय की 14 सितंबर 2006 की अधिसूचना (एस. ओ. 1533 संख्या वाली) 2 के तहत एक "विस्तार" था। एन. जी. टी. ने पाया कि अपीलार्थी ने निर्धारित नियामक प्रक्रिया का पालन किए बिना ई. आई. ए. अधिसूचना के पैराग्राफ 2 में निर्धारित "विस्तार" किया था।

अपीलार्थी को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास एक करोड़ रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था। यह देखते हुए कि परियोजना स्थल पर निर्माण पूरा हो गया था, एनजीटी ने अपीलार्थी की विस्तारित परियोजना के प्रभाव का अध्ययन करने और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति नियुक्त की।

1 एनजीटी

2 ई. आई. ए अधिसूचना

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तथ्य.

2. अपीलार्थी सी. टी. एस. संख्या 646,646 (पं.) गांधीनगर, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400050 में स्थित 'ओरियाना आवासीय परियोजना' नामक आवासीय पुनर्विकास परियोजना का प्रस्तावक है। 8 जून 2010 को अपीलार्थी को कार्य पूरा करने के लिए एक प्रारंभिक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। परियोजना संपत्ति पर स्थित एक भवन का विकास और निर्माण। अपीलार्थी ने निर्माण शुरू किया। जब निर्माण शुरू हुआ,

कुल निर्माण क्षेत्र 8,720.32 वर्ग मीटर था। परियोजना के दायरे का विस्तार किया गया और निर्मित क्षेत्र को बढ़ाकर 32,395.17 वर्ग मीटर कर दिया गया। ई. आई. ए. अधिसूचना के तहत, एक पर्यावरण

यदि कुल निर्माण क्षेत्र से अधिक हो तो मंजूरी आवश्यक थी। 20,000 वर्ग मीटर। अतः, अपीलार्थी ने एक ई. सी. के लिए आवेदन किया

ई. आई. ए. अधिसूचना। 3. चौथे प्रतिवादी, महाराष्ट्र 3 के लिए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने परियोजना के लिए एक ईसी के अनुदान की सिफारिश की। 2 मई 2013 को तीसरे प्रतिवादी, महाराष्ट्र के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण ने एस. ई. ए. सी. की सिफारिशों के आधार पर एक ई. सी. प्रदान किया। यह विवाद में नहीं है कि जिस समय ईसी दिनांक 2 मई 2013 को मंजूरी दी गई थी, उस समय परियोजना का कुल निर्माण क्षेत्र 32,395.17 वर्ग मीटर था। अनुदान

वर्ग मीटर। अपने पत्र में, अपीलार्थी ने 'संशोधन' की मांग की कुल निर्माण क्षेत्र में वृद्धि को दर्शाने के लिए तीसरे प्रतिवादी द्वारा 2 मई 2013 को ईसी। 13 मार्च 2014 को, तीसरा प्रतिवादी

निर्वाचन आयोग को 2 मई 2013 को इस आधार पर एक 'संशोधन' प्रदान किया गया कि निर्माण और निर्माण में केवल मामूली वृद्धि हुई थी

6 एस. ई. ए. ए. कीस्टोन रियल्टर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। श्री अनिल वी. थार्थरि [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।]

क्षेत्र "। तीसरे उत्तरदाता ने परियोजना के विनिर्देश में परिवर्तनों को निम्नानुसार नोट कियाः

वर्णन

ईसी के अनुसार

संशोधन

दिनांक 2 मई 2013

एफ. एस. आई. क्षेत्र

21, 365.54 वर्ग मीटर

16, 346.32 वर्ग मीटर

गैर एफ. एस. आई. क्षेत्र

16, 048.85 वर्ग मीटर

19, 115.34 वर्ग मीटर

कुल निर्माण क्षेत्र

40, 480.88 वर्ग मीटर

32, 395.17 वर्ग मीटर

बिक्री 77

सदस्य 64

सदस्य 64

आवासों की संख्या

बिक्री 61

भवन विन्यास

सदस्य

2 तहखाना

5. एम. आई. जी. कॉलोनी का निवासी होने का दावा करने वाला पहला प्रतिवादी,

गांधीनगर, बांद्रा पूर्व, मुंबई ने अनुदान को चुनौती दी

कार्यवाही और सीमा की सीमा स्थापित करना। अपीलार्थी ने एनजीटी की पुणे पीठ के फैसले को चुनौती देने के लिए बॉम्बे में उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। बंबई उच्च न्यायालय, 12 अगस्त 2016 के एक आदेश द्वारा आयोजित रिट याचिका को स्वीकार करते हुए, कि अपील पहले प्रतिवादी के कहने पर बनाए रखने योग्य नहीं थी, और 13 मार्च 2014 के संशोधित निर्वाचन आयोग के अनुदान के खिलाफ चुनौती को सीमा द्वारा वर्जित कर दिया गया था। 31 जुलाई 2018 के एक प्रशासनिक आदेश द्वारा, विवाद को एन. जी. टी. की पुणे पीठ से प्रधान पीठ को स्थानांतरित कर दिया गया, जिसने पक्षों को सुना और विवादित मुद्दों को निपटाया।

आदेश दें।

ई. आई. ए. अधिसूचना के प्रासंगिक खंड

6. वर्तमान विवाद के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं

मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार, जब तक कि उनके संभावित पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन और एक ईसी के अनुदान द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 2 ई. आई. ए. अधिसूचना इस प्रकार हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 2. पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी (ई. सी.) के लिए आवश्यकताः

- निम्नलिखित परियोजनाओं या गतिविधियों के लिए पूर्व की आवश्यकता होगी।

संबंधित नियामक प्राधिकरण से पर्यावरण मंजूरी,

पर्यावरण और वन मंत्रालय में आने वाले मामलों के लिए अनुसूची में श्रेणी 'ए' के तहत और राज्य स्तर पर राज्य

उक्त अनुसूची में श्रेणी 'बी' के अंतर्गत आने से पहले परियोजना द्वारा निर्माण कार्य या भूमि की तैयारी

भूमि को सुरक्षित करने के अलावा, परियोजना पर प्रबंधन शुरू किया जाता है

या गतिविधिः

(i) अनुसूची में सूचीबद्ध सभी नई परियोजनाएं या गतिविधियाँ

यह अधिसूचना;

((ii) मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण।

या इस अनुसूची में सूचीबद्ध गतिविधियाँ क्षमता को बढ़ाने के साथ अधिसूचना

संबंधित क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट सीमाएँ, अर्थात -

विस्तार के बाद अनुसूची में दी गई सीमाएँ या आधुनिकीकरण;

((iii) उत्पाद मिश्रण में कोई भी परिवर्तन

अनुसूची में शामिल विनिर्माण इकाई निर्दिष्ट सीमा "।

(जोर दिया गया)

ई. आई. ए. अधिसूचना की अनुसूची संभावित परियोजनाओं को वर्गीकृत करती है।

उनके आकार और संभावित पर्यावरणीय प्रभाव के आधार पर श्रेणी 'ए' और श्रेणी 'बी' में। श्रेणी 'ए' परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से ईसी प्राप्त करना। श्रेणी 'बी' परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रस्तावकों को एस. ई. ए. ए. से एस. ई. ए. सी. की सिफारिशों के आधार पर एक ई. सी. प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। जहां कोई परियोजना अनुसूची में निर्धारित मापदंडों के भीतर आती है, ई. आई. ए. अधिसूचना के पैराग्राफ 2 में प्रावधान है कि कोई भी निर्माण कार्य तब तक शुरू नहीं होगा जब तक कि तीन प्रकार की गतिविधि के संबंध में ई. सी. की अनुमति नहीं दी जाती हैः (i) अनुसूची में प्रदान की गई नई परियोजनाएं या गतिविधियाँ, (ii) अनुसूची में प्रदान की गई मौजूदा परियोजनाओं या गतिविधियों का विस्तार या आधुनिकीकरण, और (iii) निर्दिष्ट सीमा से परे अनुसूची में प्रदान की गई मौजूदा विनिर्माण इकाइयों में उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन।

वर्तमान कीस्टोन रियल्टर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। श्री अनिल वी. थार्थरि [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

विवाद इस बात पर सवाल उठाता है कि ई. आई. ए. के तहत दूसरे प्रकार की गतिविधि, मौजूदा परियोजनाओं के "विस्तार" का अर्थ कैसे लगाया जाना चाहिए।

अधिसूचना।

7. एक ईसी को सुरक्षित करने के लिए, परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुत करना होगा

ई. आई. ए. अधिसूचना के प्रपत्र 1 और पूरक प्रपत्र 1 ए (यदि लागू हो) में निर्धारित तरीके से एक आवेदन। ई. आई. ए. अधिसूचना के पैराग्राफ 7 (i) के तहत, परियोजना प्रस्तावक को एक पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी चाहिए। हालांकि, अनुसूची की मद 8 के तहत परियोजनाओं के मामले में, केवल एक वैचारिक योजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। ई. आई. ए. अधिसूचना के पैराग्राफ 7 (ii) में कहा गया है किः

" 7 (ii) पर्यावरण मंजूरी (ईसी) के लिए पूर्व प्रक्रिया

उत्पाद मिश्रण के परिवर्तन का विस्तार या आधुनिकीकरण

मौजूदा परियोजनाएंः

पर्यावरण मंजूरी के लिए सभी आवेदन

उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ विस्तार

क्षमता जिसके लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी है

इस अधिसूचना के तहत या वृद्धि के साथ प्रदान किया गया था खनन के मामले में पट्टा क्षेत्र या उत्पादन क्षमता

परियोजनाओं के लिए या वृद्धि के साथ मौजूदा इकाई के आधुनिकीकरण के लिए

सीमा से परे कुल उत्पादन क्षमता में

में परिवर्तन के माध्यम से इस अधिसूचना की अनुसूची में निर्धारित प्रक्रिया और या प्रौद्योगिकी या उत्पाद में परिवर्तन शामिल है

संबंधित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या राज्य द्वारा साठ दिनों के भीतर स्तर की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, जो

आवश्यक परिश्रम पर निर्णय लेंगे जिसमें शामिल हैं

ई. आई. ए. तैयार करना और सार्वजनिक परामर्श और आवेदन पर्यावरण अनुदान के लिए तदनुसार मूल्यांकन किया जाएगा।

निकासी "।

(जोर दिया गया)

ई. आई. ए. अधिसूचना के पैराग्राफ 2 के खंड (ii) के लिए आवश्यक है -

संबंधित नियामक से एक ईसी को सुरक्षित करने के लिए परियोजना प्रस्तावक

किसी मौजूदा परियोजना के किसी भी "विस्तार" को शुरू करने से पहले प्राधिकरण। पैराग्राफ 7 (ii) में आगे कहा गया है कि पिछले ईसी में निर्धारित क्षमता/क्षेत्र से अधिक उत्पादन क्षमता या पट्टा क्षेत्र में वृद्धि के परिणामस्वरूप "विस्तार" के मामलों में ईसी के लिए सभी आवेदन फॉर्म 1 या 1 ए (जैसा लागू हो) में निर्धारित तरीके से किए जाएंगे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. प्रपत्र 1 में अपीलार्थी का आवेदन स्वीकार करता है कि

परियोजना ई. आई. ए. अधिसूचना की अनुसूची 1 की प्रविष्टि 8 (ए) के अंतर्गत आती है। प्रविष्टि 8 '20,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक लेकिन 1,50,000 वर्ग मीटर से कम निर्मित क्षेत्र वाली भवन और निर्माण परियोजनाओं' से संबंधित है। ई. आई. ए. अधिसूचना की अनुसूची की प्रविष्टि 8 इस प्रकार है:

8 - भवन/निर्माण परियोजनाएं/क्षेत्र विकास परियोजनाएं और

कस्बों

> 20,000 वर्ग मीटर के लिए निर्मित क्षेत्र

8 ((क) भवन और

निर्माण परियोजनाएं

और <1,50,000 वर्ग आच्छादित निर्माणः

सुविधाओं के

मामले में

निर्मित का

एमटीएस

आसमान

खुलेगा,

क्षेत्र

गतिविधि क्षेत्र

बनें

कस्बों और क्षेत्र

8 (ख)

एक क्षेत्र को कवर करना

इसके तहत सभी

परियोजनाएं

≥50 हा और या

मद 8 (बी)

होगा

विकास

निर्मित क्षेत्र

परियोजनाएं

श्रेणी के रूप में

मूल्यांकन किया गया

≥1,50,000 वर्ग मीटर

बी1

मुद्दा

9. मूल निर्वाचन आयोग के लिए आवेदन करते हुए, अपीलार्थी ने एक

ई. आई. ए. अधिसूचना के प्रावधानों के तहत आवश्यकतानुसार प्रपत्र 1 में आवेदन। अपीलार्थी के प्रपत्र 1 में पहचाना गया कुल निर्माण क्षेत्र 32,395.17 वर्ग मीटर था। हालाँकि, सितंबर 2013 में अपीलार्थी ने दूसरे प्रतिवादी को 8,085.71 वर्ग मीटर की वृद्धि के बारे में सूचित किया, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना का कुल निर्माण क्षेत्र 40,480.88 वर्ग मीटर होगा। 2 मई 2013 को निर्वाचन आयोग में 'संशोधन' की मांग करते हुए अपीलार्थी ने अद्यतन प्रपत्र 1 जमा नहीं किया। इसके अलावा, ई. सी. में 'संशोधन' एस. ई. आई. ए. ए. द्वारा एस. ई. ए. सी. की सिफारिशों के बिना दिया गया था। इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह है कि क्या ई. आई. ए. अधिसूचना के पैराग्राफ 7 (ii) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना एस. ई. आई. ए. ए. द्वारा 13 मार्च 2014 को दिया गया 'संशोधित' ई. सी. वैध है।

प्रस्तुतियाँ

10. श्री मुकल रोहतगी, विद्वान वरिष्ठ वकील

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया किः

(i) जब निर्माण शुरू हुआ, तो कुल निर्माण क्षेत्र

अपीलार्थी की परियोजना 8,720.32 वर्ग मीटर थी। के रूप में

ई. आई. ए. अधिसूचना में कुल निर्मित परियोजनाओं की आवश्यकता होती है

20, 000 वर्ग मीटर या उससे अधिक का क्षेत्र खरीदने के लिए

निर्माण शुरू होने से पहले एक ईसी, कोई ईसी नहीं था

अपीलार्थी की परियोजना के निर्माण से पहले आवश्यक

शुरू किया; टोन रियल्टर पी. वी. टी. लिमिटेड। वी श्री अनिल आरे [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

पहली वृद्धि के अनुसार, जब अपीलार्थी की परियोजना 20,000 वर्ग मीटर की सीमा को पार कर गई ई. आई. ए. अधिसूचना में उपबंधित, अपीलार्थी

एक फॉर्म 1 जमा किया और एक वैध दिनांकित ईसी प्रदान किया गया

2 मई 2013 तीसरे प्रतिवादी द्वारा;

दूसरी वृद्धि के अनुसार, अपीलार्थी की परियोजना का निर्मित क्षेत्र केवल मामूली रूप से 8,085.71 वर्ग मीटर बढ़कर कुल 40,480.88 वर्ग मीटर हो गया, जो अनुसूची की प्रविष्टि 8 (a) द्वारा निर्धारित 1,50,000 वर्ग मीटर की ऊपरी सीमा के भीतर है।

ई. आई. ए. अधिसूचना। इसलिए, दूसरी वृद्धि ई. आई. ए. अधिसूचना के पैराग्राफ 2 के खंड (ii) के अर्थ के भीतर "विस्तार" नहीं थी और कोई नई वृद्धि नहीं थी।

दूसरे के समय फॉर्म 1 या ईसी की आवश्यकता थी।

वृद्धि;

अनुसूची में निर्धारित सीमाएँ। में कोई वृद्धि सीमा के भीतर उत्पादन क्षमता या निर्माण क्षेत्र

अनुसूची में निर्धारित एक का गठन नहीं करेगा

ई. आई. ए. अधिसूचना के पैराग्राफ 7 (ii) के तहत प्रक्रिया; अपीलार्थी की परियोजना में वृद्धि केवल मामूली है।

और इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है

एस. ई. आई. ए. ए. ने अपीलार्थी के अनुरोध पर अपना दिमाग लगाया। एक 'संशोधन' के लिए; उल्लेख किया कि निर्माण क्षेत्र में वृद्धि केवल मामूली थी और एक जारी किया

मूल निर्वाचन आयोग दिनांक 2 मई 2013 में संशोधन; और

एनजीटी के पास अपीलार्थी पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का कोई आधार नहीं था।

उपरोक्त प्रस्तुतियों के साथ मुद्दा उठाते हुए, श्री आदित्य प्रताप, पहले प्रतिवादी की ओर से पेश हुए

ई. आई. ए. अधिसूचना के अनुच्छेद 7 (ii) के साथ पठित अनुच्छेद 2 के खंड (ii) के तहत, [2019] 17 एस. सी. आर. से परे कोई भी विस्तार।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

" सीमा "के लिए एक नए ईसी की आवश्यकता होती है। अपीलार्थी की परियोजना ने 20,000 वर्ग की सीमा को पार कर लिया था

मीटर और 8 की दूसरी वृद्धि, 085.71 वर्ग मीटर ने एक 'सीमा से परे विस्तार' का गठन किया

सीमा 'और इसलिए एक नए ईसी की आवश्यकता है;

((ii) एक बार जब कोई परियोजना निर्धारित निचली सीमा का उल्लंघन करती है।

ई. आई. ए. अधिसूचना की अनुसूची में, कोई भी

ऊपरी स्तर के भीतर भी विस्तार या आधुनिकीकरण

अनुसूची में निर्धारित सीमा की आवश्यकता होगी

नया प्रपत्र 1 जमा करना और प्रस्तुत किया जाने वाला मामला

विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या एस. ई. ए. सी. के समक्ष, जो ई. आई. ए. अधिसूचना के पैराग्राफ 7 (ii) के अनुसार लागू होता है;

iii) पैराग्राफ 2 के खंड (ii) की अपीलार्थी की व्याख्या को अपनाने से अनुच्छेद 2 के उद्देश्य और उद्देश्य को विफल कर दिया जाएगा।

समग्र रूप से ई. आई. ए. अधिसूचना। यह परियोजना की अनुमति देगा।

निर्माण को बढ़ाने के समर्थक

क्षेत्र और समय के साथ महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है

बिना किसी मांग के परियोजना का पर्यावरणीय प्रभाव

ताजा ईसी;

(iv) यदि कानून किसी कार्य को एक विशेष तरीके से करने के लिए निर्धारित करता है, तो इसे केवल उसी तरीके से किया जाना चाहिए और कोई अन्य नहीं। ई. आई. ए. अधिसूचना के पैराग्राफ 7 (ii) के तहत, यह था

मामले को एस. ई. आई. ए. ए. के समक्ष रखने का दायित्व

मूल्यांकन और सिफारिशों के लिए एस. ई. ए. सी.; और

(v) ई. आई. ए. अधिसूचना का संचालन

एहतियाती सिद्धांत, जो इसका एक हिस्सा है

भारत का पर्यावरण कानून। ई. आई. ए. अधिसूचना को इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए जो प्रभाव देता है

एहतियाती सिद्धांत।

पैराग्राफ 2 और 7 से पहले वर्तमान में पक्षों के बीच केंद्रीय विवाद

ई. आई. ए. के अनुच्छेद 2 और 7 का तरीका

व्याख्या की जानी चाहिए। ई. आई. ए. के पैराग्राफ 2 के खंड (ii) में कहा गया है कि एक परियोजना प्रस्तावक को "विस्तार" के मामले में निर्माण से पहले एक ई. सी. की आवश्यकता होगी। खंड (ii) "विस्तार". कीस्टोन रियल्टर्स पी. वी. टी. के लिए निर्दिष्ट सीमाओं से परे।

लिमिटेड। श्री अनिल वी. थार्थरि [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

संबंधित क्षेत्र "। पहले प्रतिवादी ने यह तर्क देने के लिए इस निर्माण पर जोर देने की मांग की कि निचली सीमा से परे कोई भी विस्तार

अनुसूची में निर्धारित पैराग्राफ 2 के तहत एक पूर्व ईसी की आवश्यकता को आकर्षित करेगा। हालांकि, खंड (ii) में उपरोक्त भाषा को "विस्तार या आधुनिकीकरण के बाद अनुसूची में दी गई सीमा को पार करने वाली परियोजनाएं या गतिविधियाँ" वाक्यांश द्वारा अर्हता प्राप्त है। खंड (ii) के दूसरे भाग का एक सादा अध्ययन इंगित करेगा कि यह उन मामलों पर लागू होता है जहां एक परियोजना शुरू में सीमा से नीचे थी। अनुसूची में निर्धारित लेकिन प्रस्तावित विस्तार के बाद, सीमा का उल्लंघन होगा। अतः ई. आई. ए. अधिसूचना के पैराग्राफ 2 का खंड (ii) ऐसे मामले को शामिल करता प्रतीत नहीं होता है जहां कोई परियोजना पहले ही अनुसूची में निर्धारित निचली सीमा को पार कर चुकी हो और विस्तार अनुसूची द्वारा निर्धारित ऊपरी सीमा को पार नहीं करता हो।

13. हालांकि, पैराग्राफ 2 के खंड (ii) को ई. आई. ए. अधिसूचना के पैराग्राफ 7 (ii) के साथ पढ़ा जाना चाहिए। पैराग्राफ 7 (ii) एक परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुसरण की जाने वाली सटीक प्रक्रिया को निर्धारित करता है एक विस्तार। इस संबंध में दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए -

अनुच्छेद 7 (ii)। सबसे पहले, यह वाक्यांश का उपयोग करता है, "क्षमता से परे उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ विस्तार जिसके लिए पूर्व वातावरण है। मंजूरी दे दी गई है "। दूसरा, "विस्तार के बाद" सीमा के उल्लंघन का उल्लेख करने वाली योग्यता भाषा अनुपस्थित है। एक 'विस्तार' एक ईसी के अनुदान के बाद भी हो सकता है जब परियोजना पहली बार सीमा में निर्धारित निचली सीमा को पार कर गई हो और यह नहीं है

विस्तार के बाद परियोजना के लिए ऊपरी सीमा का उल्लंघन करना आवश्यक है। इसलिए, पैराग्राफ 7 (ii) को बारीकी से पढ़ने से इसका समर्थन होगा

प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा दी गई व्याख्या-कि ई. सी. प्राप्त करने के बाद भी यदि परियोजना का विस्तार उस सीमा से अधिक किया जाता है जिसके लिए पूर्व ई. सी. प्राप्त किया गया था, तो एक नया आवेदन करने की आवश्यकता होगी, भले ही विस्तार अनुसूची में निर्धारित सीमा से अधिक हो। 14. पहले उत्तरदाता के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रभावी रूप से व्यक्त किए गए खतरे वास्तविक हैं। यदि पैराग्राफ 2 का खंड (ii) किसी ऐसे मामले को शामिल नहीं करता है जहां विस्तार अनुसूची द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर है, तो एक परियोजना प्रस्तावक समय के साथ परियोजना क्षेत्र के आकार में वृद्धि कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप विस्तार के परिणामस्वरूप पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किए बिना परियोजना के आकार में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। इस तरह का परिणाम ई. आई. ए. अधिसूचना की पूरी योजना को विफल कर देगा जो यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई भी नई या

अतिरिक्त पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन और प्रमाणन संबंधित [2019] 17 एस. सी. आर. द्वारा किया जाता है।

नियामक प्राधिकरण। वर्तमान मामले में, अनुसूची के प्रवेश 8 (ए) की निचली सीमा 20,000 वर्ग मीटर का निर्मित क्षेत्र है और ऊपरी सीमा 1,50,000 वर्ग मीटर है। इसमें संदेह नहीं किया जा सकता कि

1,50,000 वर्ग मीटर के निर्माण का पर्यावरणीय प्रभाव है

20, 000 वर्ग मीटर के निर्माण से काफी अधिक। यदि अपीलार्थी के तर्क को समग्र रूप से स्वीकार कर लिया जाता है, तो एक परियोजना प्रस्तावक संभावित रूप से 20,000 वर्ग मीटर के निर्माण के लिए एक ईसी को सुरक्षित कर सकता है और 'संशोधन' द्वारा एक अद्यतन फॉर्म 1 या एस. ई. ए. सी. द्वारा कोई ठोस समीक्षा प्रस्तुत किए बिना निर्माण के क्षेत्र को लगातार 1,50,000 वर्ग मीटर तक बढ़ा सकता है। 15. हम ध्यान देते हैं कि 2006 में ई. आई. ए. अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद, 19 जनवरी को एक मसौदा अधिसूचना जारी की गई थी।

" [ई. आई. ए. अधिसूचना के] पैरा 2 में, उप-पैरा (iii) के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएंगे; अर्थात्ः

हालाँकि आधुनिकीकरण या विस्तार प्रस्ताव बिना किसी के

प्रदूषण भार में वृद्धि, और, या बिना किसी अतिरिक्त पानी और या भूमि की आवश्यकता को इसके प्रावधानों से छूट दी गई है।

अधिसूचनाः

बशर्ते कि एक स्व-प्रमाणन, जिसमें कहा गया हो कि प्रस्तावों में कोई अतिरिक्त प्रदूषण भार, अपशिष्ट उत्पादन या पानी की आवश्यकता शामिल नहीं होगी, नियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक "। 99

मसौदा अधिसूचना को अपनाने से पहले, सुनवाई आयोजित की गई थी और विभिन्न हितधारकों से लिखित टिप्पणियां मांगी गई थीं जिनमें शामिल हैंः (i) केंद्रीय मंत्रालय और विभाग, (ii) राज्य सरकारें और उनकी एजेंसियां, (ii) उद्योग और उनके संघ और (iv) गैर-सरकारी संगठनों सहित नागरिक समाज। मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया था

पर्यावरण और वन, भारत सरकार जिसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की

अक्टूबर 2009 में। समिति ने विशेष रूप से उपरोक्त संशोधन को अपनाने के खिलाफ सिफारिश करते हुए कहाः

“ संशोधनों में परियोजना प्राधिकरणों द्वारा स्व-प्रमाणन के आधार पर परियोजनाओं के आधुनिकीकरण और विस्तार को छूट देने का प्रस्ताव है कि प्रदूषण भार में कोई वृद्धि नहीं हुई है। यह पूरी तरह से

यह अस्वीकार्य है कि आधुनिकीकरण और विस्तार

' अधिसूचना एस. ओ. 195 (ई) दिनांक 19 जनवरी 2009।

कीस्टोन रियल्टर पी. वी. टी. लिमिटेड। वी श्री अनिल

हार्टेर [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

स्वयं की आवश्यकता के साथ या उसके बिना परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी व्यवस्था से हटा दिया जाए प्रमाणन। गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों में कई उद्योग काम कर रहे हैं या अपनी पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिन पर किसी परियोजना के विस्तार पर विचार करने से पहले विचार करने की आवश्यकता है। जिस बात पर विचार किया जाना चाहिए वह यह नहीं है कि प्रदूषण भार में वृद्धि हुई है या नहीं, बल्कि परियोजना का वर्तमान प्रभाव और पर्यावरण के साथ इसका अनुपालन भी है।

निकासी की शर्तें। हम स्पष्ट उदाहरण दे सकते हैं जिसमें मंजूरी की शर्तों का पालन नहीं किया गया है।

विस्तार के लिए मंजूरी देते समय विचार किया जाता है जिसमें मौजूदा औद्योगिक संचालन आदि में नए घटक जोड़ना शामिल है।

इसने कई परियोजनाओं को अपनी गतिविधियों को जारी रखने और स्पष्ट रूप से गैर-अनुपालन के बावजूद विस्तार करने की अनुमति दी है। अंत में, केवल औद्योगिक, तापीय ऊर्जा और इस तरह के अन्य संबंधित कार्यों के साथ ही प्रदूषण के मापदंडों पर निर्णय लिया जा सकता है। विकास राजमार्गों, हवाई अड्डों और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसी परियोजनाएं जो विस्तार करना चाहती हैं, भूमि उपयोग में परिवर्तन (यानी आर्द्रभूमि, घास के मैदान या कृषि भूमि पर निर्माण) जैसे कारकों के कारण हानिकारक प्रभाव डाल सकती हैं।

आदि)। इसके बावजूद, परियोजना प्रस्तावक प्रमाणित कर सकता है कि प्रदूषण भार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और इसलिए विस्तार की अनुमति दी जानी चाहिए। वर्तमान प्रक्रिया एक विस्तृत ई. आई. ए. रिपोर्ट की मांग करती है

यह निर्धारित करें कि क्या प्रभावों को कम किया जा सकता है। यदि संशोधन लागू किया जाता है, तो यह पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया में इस महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम को समाप्त कर देगा। इसलिए इस संशोधन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मसौदा अधिसूचना आधुनिकीकरण और विस्तार के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव के बारे में एक अदूरदर्शी दृष्टिकोण लेती है। कोई भी।

आधुनिकीकरण/विस्तार परियोजनाओं में आवश्यक रूप से शामिल होंगे

उत्पादन में वृद्धि, परिवहन में वृद्धि, स्थानीय बुनियादी ढांचे और स्थानीय प्राकृतिक सुविधाओं पर दबाव में वृद्धि निर्माण चरण के दौरान संसाधन और प्रदूषण भार में वृद्धि। इसलिए, भले ही आधुनिकीकरण/विस्तार से संचालन [2019] 17 एस. सी. आर. के दौरान कारखाने परिसर के भीतर प्रदूषण भार या पानी या भूमि की आवश्यकता में वृद्धि न हो।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चरण, यह पर्यावरण और सामाजिक में वृद्धि की ओर ले जाएगा

आधार के बाहर प्रभाव।

(जोर दिया गया)

बाद के संशोधनों में मसौदा संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया था।

ई. आई. ए. अधिसूचना। हम समिति की टिप्पणियों में काफी योग्यता पाते हैं कि विस्तार के समय एक ईसी की आवश्यकता पर्यावरण मंजूरी व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कदम है। के अनुसार समिति के लिए, यह न केवल विस्तार के कारण होने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव का मूल्यांकन करने और उसे कम करने में अधिकारियों की सहायता करता है, बल्कि यह भी आकलन करने में सहायता करता है कि क्या परियोजना प्रस्तावक अपने मौजूदा दायित्वों का पालन कर रहा है। महत्वपूर्ण रूप से, किसी भी प्रकार का विस्तार आवश्यक रूप से स्थानीय पर्यावरण और बुनियादी ढांचे पर दबाव डालता है और इसका समग्र तरीके से सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

16. ऐसे मामले में जहां प्रावधानों के पाठ की आवश्यकता होती है

व्याख्या, इस न्यायालय को एक ऐसी व्याख्या अपनानी चाहिए जो समग्र रूप से विधान या प्रत्यायोजित विधान के उद्देश्य और उद्देश्य के अनुरूप हो। ई. आई. ए. अधिसूचना को अपनाया गया था

नई परियोजनाओं को प्रतिबंधित करने और नई परियोजनाओं के विस्तार का इरादा जब तक कि उनके पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन और समझ न हो। यह विवादित नहीं हो सकता है कि जैसे-जैसे परियोजना का आकार बढ़ता है, वैसे-वैसे परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव का परिमाण भी बढ़ता है। यह न्यायालय ई. आई. ए. अधिसूचना की व्याख्या को नहीं अपना सकता है जो परियोजना प्रस्तावकों को वृद्धि करने या अन्यथा अनुमति देगा।

विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या एस. ई. ए. सी. से किसी भी निरीक्षण के बिना किसी परियोजना का निर्माण क्षेत्र, जैसा भी लागू हो। यह सच है कि ऐसी कुछ परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ किसी परियोजना के प्रस्तावक द्वारा चाहा गया विस्तार वास्तव में मामूली हो या इसका पर्यावरणीय प्रभाव हो। विस्तार अस्तित्वहीन है। हालाँकि, यह इस न्यायालय के लिए एक स्पष्ट परीक्षण निर्धारित करने के लिए नहीं है कि क्या 'मामूली' वृद्धि का गठन करता है और क्या एक भौतिक वृद्धि का गठन करता है जो एक नए फॉर्म 1 की आवश्यकता देता है और विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा जांच की जाती है। यदि सरकार अपने विवेक से यह निर्धारित करती है कि अनुसूची में निर्धारित सीमा के भीतर परियोजना के आकार में एक बार की 'मामूली' वृद्धि (जैसे 5 प्रतिशत या 10 प्रतिशत), पर्यावरण संरक्षण की तत्काल आवश्यकता को कम किए बिना जांच के निम्न मानक के अधीन हो सकती है, तो यह न्यायालय इस तरह के प्रावधान को प्रभावी बना सकता है। यह एहतियाती सिद्धांत के उल्लंघन के आधार पर किसी भी चुनौती के अधीन होगा। हालाँकि, जैसा कि वर्तमान में ई. आई. ए. अधिसूचना है, कीस्टोन रियल्टर्स पी. वी. टी. के भीतर एक विस्तार है।

लिमिटेड। श्री अनिल वी. थार्थरि [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अनुसूचियों द्वारा निर्धारित सीमाएँ पैराग्राफ 7 (ii) में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन होंगी।

17. दूसरी वृद्धि के समय, अपीलार्थी की परियोजना का कुल निर्माण क्षेत्र 32,395.17 वर्ग मीटर से बढ़ा दिया गया था।

निर्माण क्षेत्र अब 40,480.88 वर्ग मीटर है। ई. आई. ए. अधिसूचना के पैराग्राफ 7 (ii) के तहत निर्धारित प्रक्रिया मौजूद है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जहां किसी परियोजना का आकार बढ़ाया जाता है, आसपास के क्षेत्र पर पर्यावरणीय प्रभाव का समग्र रूप से वायु और जल की उपलब्धता और प्रदूषण सहित सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करते हुए मूल्यांकन किया जाता है।

ठोस और गीले कचरे का प्रबंधन और शहरी वहन क्षमता क्षेत्र से। अपीलार्थी की परियोजना के मामले में ऐसा नहीं किया गया था। ई. आई. ए. अधिसूचना के पैराग्राफ 7 (ii) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ई. सी. को 'संशोधन' देने के लिए तीसरे प्रतिवादी के लिए यह खुला नहीं था।

18. हम आगे ध्यान देते हैं कि विवादित आदेश की तारीख तक परियोजना स्थल पर निर्माण पहले ही पूरा हो चुका था। एक कोर

पर्यावरणीय क्षति। इस स्तर पर, केवल उपचारात्मक उपाय किए जा सकते हैं। एनजीटी पहले ही अपीलार्थी को रुपये जमा करने का निर्देश दे चुका है एक करोड़ और अपीलार्थी की परियोजना के प्रभाव का मूल्यांकन करने और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम एनजीटी के निर्देशों को बरकरार रखते हैं और निर्देश देते हैं कि समिति अपीलार्थी की परियोजना का अपना मूल्यांकन जारी रखे।

इसके पर्यावरणीय प्रभाव को उस 558 के जितना संभव हो उतना करीब लाने के लिए

2 मई 2013 को निर्वाचन आयोग में विचार किया गया और अपीलार्थी पर लगाए जाने वाले प्रतिपूरक दंड का भी सुझाव दिया गया।

19. याचिका खारिज की जाती है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

20. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

देविका गुजराल